

Research Paper

“मूक बधिर बालकों की शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन” (इन्दौर शहर के सन्दर्भ में)

डॉ. मनीषा सक्सेना

विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान,

संस्थान, महु (म.प्र.)

कृष्णलता यादव

पी.एच.डी. शोधार्थी,

देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल आबादी 1,028,610,328 है जिसमें से 21,906,769 व्यक्ति विकलांग है । विकलांगता के विभिन्न प्रकारों में से भारत में 1,640,868 व्यक्ति वाणी-बाधित हैं जिनमें से 942,095 (7.5:) वाणी बाधित पुरुष तथा 698,773 (7.5:) वाणी बाधित महिला वर्ग से है। 1,261,722 (5.8:) व्यक्ति श्रवण बाधित हैं जिनमें 673,797 (5.3:) श्रवण बाधित पुरुष तथा 857,925 (6.3:) श्रवण बाधित महिला वर्ग की है। मध्य प्रदेश में 75,825 (6.0:) व्यक्ति वाणी बाधित हैं तथा 85,354 (6.1:) व्यक्ति श्रवण बाधित से ग्रसित हैं, वहीं इन्दौर शहर में 1477 व्यक्ति (जनगणना 2001) श्रवण बाधित से ग्रसित पाये गये । आंकड़ों के आधार पर किसी समस्या के मर्म तक पहुँचा जा सकता है। यदि मूकबधिरों के लिए विकास करना है तो जिस प्रकार संपूर्ण भारत के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है उसी प्रकार इस विशेष वर्ग को सही दिशा प्रदान करने एवं सशक्त बनाने के लिए इनके शैक्षणिक क्रिया-कलापों में वृद्धि करना आवश्यक है

इस विशेष वर्ग की शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं जिनका मूल्यांकन समय-समय पर शोध के माध्यम से होने पर इस वर्ग को विकास की दौड़ में शामिल कर समाज के प्रति दायित्वों को निभाया जा सकता है।

मूक बधिर मुख्यतः विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होते हैं जिसमें सामाजिक, संयोजनात्मक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक मुख्य हैं। शैक्षणिक समस्याओं का निदान होने पर यह मुख्य रूप से कई कारणों से उभर जाते हैं। जिनमें बोलने की क्षमता एवं भाषा का विकास, कक्षा-कक्ष में पढ़ायी गई बातों का अधिगम अत्यन्त सरल, शैक्षणिक उपलब्धि उच्च होना, परिक्षणों का प्रयोग भली प्रकार हो पाना इत्यादि प्रमुख हैं। अतः शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विकलांग, समाज में समुचित स्थान तथा सम्मान पा सकते हैं।

उद्देश्य :

- मूक बधिर बच्चों के अभिभावकों का सामाजिक आर्थिक स्तर ज्ञात करना ।
- मूक बधिर बच्चों की शैक्षणिक समस्याओं को ज्ञात करना ।
- मूक बधिर बच्चों हेतु शासकीय योजनाओं की भूमिका का पता लगाना ।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध अध्ययन सौदेश्यपूर्ण विधि से इन्दौर शहर की सात मूकबधिर संस्थाओं से कुल 335 मूकबधिरो पर किया गया है। अध्ययन वृहत् शोध का हिस्सा है जो वर्ष 2005 से 2011 में किया गया है। इस शोध अध्ययन को निम्नलिखित चरणों में पूर्ण किया गया ।

प्रथम चरण – जिला स्तर चयन पर अध्ययन के लिये मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर का चयन किया गया है जो मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा एवं विकसित शहर है।

द्वितीय चरण – संस्थाओं का चयन हेतु समाज कल्याण विभाग, जिला अधिकारी कार्यालय इन्दौर से प्राप्त सूची अनुसार उद्देश्यपूर्ण प्रणाली के माध्यम से इन्दौर शहर की मूक-बधिर बच्चों की 7 संस्थाओं का चयन किया गया ।

तृतीय चरण – ईकाई का चयन उपर्युक्त सभी संस्थाओं से वर्ष 2005 की प्राप्त सूची के अनुसार सभी 335 बच्चों (5 से 10 वर्ष) है अतः इन सभी बच्चों का चयन अध्ययन के लिये उद्देश्यपूर्ण देव निदर्शन पद्धति का चयन किया गया ।

शोध उपकरण हेतु साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन विधि तथा समुह चर्चा द्वारा सम्पूर्ण आँकड़े एकत्रित किये गये। समूह चर्चा शिक्षकों, माता-पिता तथा पियर्स ग्रुप के मध्य की गई।

द्वितीयक स्रोतः द्वितीयक समकों द्वारा संबंधित साहित्य की पत्रिकाओं, पुस्तकों, सरकारी अभिलेखों, स्वयं सेवी संस्थाओं, समाचार पत्र तथा इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित किया गया । प्राथमिक संमकों के आधार पर मास्टर चार्ट द्वारा सारणीयन कर परिणाम प्रस्तुत किये गये ।

परिणाम :

अभिभावकों का सामाजिक-आर्थिक स्तर

अध्ययन कुल 335 मूकबधिर बच्चों पर किया गया जिसमें से 186 (55.5:) बालक तथा 149 (44.5:) बालिकाएँ पाई गई ।

मूक-बधिर बच्चों के अभिभावकों में से 37.31 प्रतिशत पिता तथा 9.85 प्रतिशत माता स्वयं का व्यवसाय, 13.43 प्रतिशत पिता तथा 11.04 प्रतिशत माता शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा 3.28 प्रतिशत पिता किसान पाये गये। 9.85 प्रतिशत पिता और 9.25 प्रतिशत माता मजदूरी का कार्य करते हैं । 36.11 प्रतिशत पिता तथा 11.04 प्रतिशत माता शासकीय नौकरी में कार्यरत हैं। 58.30 प्रतिशत माता गृहिणी पाई गई ।

मूकबधिर बच्चों के परिवारों में से 25.67 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 17520 रुपये से अधिक पाई गई है, 49.25 प्रतिशत परिवार की मासिक आय 17515 रुपये से 9876 रुपये, 11.94 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 6570 रुपये से 8750 रुपये तथा 13.13 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 2628 रुपये से 4370 रुपये पाई गई है। शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत परिवार उच्च मध्य आय वर्ग के पाये गये ।

अतः शोध निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कि अभिभावकों के आर्थिक सामाजिक स्तर से बच्चों का शैक्षणिक जीवन बहुत प्रभावित होता है। कुल मूक बधिर बच्चों में से जिन बच्चों के अभिभावक व्यवसाय में (कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, किताबों की दुकान, होटल, जूता-चप्पल की दुकान आदि) या शासकीय नौकरी (नगर निगम में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, वित्तिय विभाग में बैंको में आदि) में कार्यरत हैं उनके बच्चों अशासकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं तथा उन्हें शिक्षा सम्बन्धी सभी साधन उपलब्ध रहते हैं जैसे कॉपी-किताबें, फीस, ड्रेस, घर में पढ़ने की उचित वातावरण, व्यवस्था आदि ।

विभिन्न शोध अध्ययनों करवानी (1975), प्रभा (1983), माथुर (1985) इत्यादि के शोध निष्कर्ष के अनुसार शिक्षा का स्तर तथा

परिवार की आय विकलांगता को अत्यधिक प्रभावित करती है यदि परिवार की आय निम्न आर्थिक स्तर की होगी तो विकलांग बच्चों का पालन-पोषण शिक्षा समायोजन तथा अभिवृत्तियों में अन्तर देखा गया है।

शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार 3.28 प्रतिशत अभिभावक किसान हैं तथा 9.85 प्रतिशत पिता व 9.25 प्रतिशत माता मजदूर हैं, जो ईट, सीमेंट उठाने झाड़ू लगाने, होटलों में सफाई कार्य, कूड़ा-कचरा बिनने, घर में जाकर रोटियों बनाने का कार्य, करती हैं। तथा इनकी आय 1000 या 1000 रुपये से कम पाई गई। जो अपने बच्चों को शासकीय विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं क्योंकि इन विद्यालयों की फीस कम होती है, पर इन विद्यालयों में सुविधाओं की कमी होती है। घर में ज्यादा बच्चें होने के कारण इनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता और आय कम होने के कारण कभी-कभी इनकी पढ़ाई भी रोक दी जाती है। जिन बच्चों की पढ़ाई जारी रहती है उन्हें पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण पढ़ाई करने में तथा समायोजन करने में बहुत समस्या आती है। इस वर्ग के अभिभावकों में शिक्षा के जागरूकता न होने के कारण अपने लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। घर की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण पर्याप्त व्यवस्था न होने कारण उन्हें अन्य बच्चों के सामने शर्म भी महसूस होती है इसलिये वे नियमित विद्यालय नहीं जाते हैं। इसी प्रकार 75 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय उच्च मध्य वर्ग को प्रदर्शित करता अतएव जैसे-जैसे परिवार की मासिक आय का स्तर बढ़ता जाता है वैसे-वैसे बच्चों के सामंजस्य, अभिवृत्तियों, व्यक्तित्व तथा शिक्षा के स्तर में सुधार पाया गया।

मूकबधिर बच्चों का शैक्षणिक स्तर एवं समस्याएं

शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर कुल मूक बधिर बालक बालिकाओं में से 30.74 प्रतिशत बालक-बालिकायें शासकीय विद्यालय में जाते हैं तथा 69.25 प्रतिशत बच्चें अशासकीय विद्यालय में जाते हैं। 40 प्रतिशत बच्चें अशासकीय विद्यालय में इस लिए पढ़ते हैं क्योंकि शासकीय विद्यालय में प्रत्येक पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, 33.73 प्रतिशत बच्चे अशासकीय विद्यालय में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि शासकीय विद्यालय में पाठ्य सामग्री की कमी रहती है, 3.28 प्रतिशत अशासकीय विद्यालय में अन्य कारणों अर्थात् खेल सामग्री की कमी विद्यालय बस का न होना, कक्षा में उचित व्यवस्था न होना, शिक्षक का व्यवहार तथा 22.98 प्रतिशत बच्चे अशासकीय विद्यालय में इसलिये पढ़ते हैं क्योंकि शासकीय विद्यालय उनके निवास-स्थान से दूर है। इत्यादि कारणों से जाते हैं, पाया गया।

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार कुल मूक-बधिर बालक-बालिकाओं से 62.68 प्रतिशत बच्चों नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं, 37.31 प्रतिशत बच्चें नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते हैं, जिनमें से 11.94 प्रतिशत बच्चें लड़की होने के कारण नियमित विद्यालय नहीं जाती 7.76 प्रतिशत बच्चें घरेलू कार्य के कारण नियमित विद्यालय नहीं जाते 12.53 प्रतिशत बच्चें आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण नियमित विद्यालय नहीं जाते हैं, 26.26 प्रतिशत बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण नियमित विद्यालय नहीं जाते, 28.05 प्रतिशत बच्चों को स्कूल अच्छा नहीं लगने के कारण विद्यालय नहीं जाते तथा 13.34 प्रतिशत बच्चों को शर्म आने के कारण नियमित विद्यालय नहीं जाते। 47.46 प्रतिशत बच्चों को घर में पढ़ाई करने में समस्या आती है जिसमें से 14.32 प्रतिशत बच्चों के घर में झगड़े होने से पढ़ाई में समस्या आती है, 17.91 प्रतिशत बच्चों के घर में बहुत शोर होने के कारण पढ़ाई करने में समस्या आती है, 26.86 प्रतिशत बच्चों के घर में बहुत सारे बच्चे होने के कारण पढ़ाई करने में समस्या आती है, 23.28 प्रतिशत बच्चें थक जाने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, 11.94 प्रतिशत घरों में बिजली की समस्या के कारण पढ़ाई करने में समस्या आती है, 5.67 प्रतिशत बच्चों के घरों में अन्य समस्या के कारण पढ़ाई करने में समस्या आती है। तथा 52.53 प्रतिशत बच्चों के घरों में पढ़ाई करने में कोई समस्या नहीं आती है। उनका आर्थिक स्तर अन्य मूकबधिर की अपेक्षा ठीक

होने के साथ-साथ नियमित विद्यालय जाना, परिवार में उचित वातावरण, झगड़ा ना होना इत्यादि कारणों से शैक्षणिक समस्याओं का सामाना अन्य बच्चों की तुलना में कम करना पड़ता है।

परिणामों के आधार पर उच्च स्तर तक शिक्षित अभिभावक माता 6.5 प्रतिशत पिता 7.7 प्रतिशत बच्चों को अधिक अनुशासित रखते हुये पाये गये। माध्यमिक तथा स्तर स्नातक तक के शिक्षित माता 37.9 प्रतिशत पिता 40.6 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयं का अधिक से अधिक समय बच्चों को देते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि जिन अभीभावकों की शिक्षा का स्तर उच्च है, वे अभिभावक विकलांग बच्चें की शिक्षा में सहायता प्रदान करते हैं। कम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाली माताएं तथा पिता बच्चों को अधिक पढ़ाना चाहते हैं। चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा में सहायता नहीं कर पाते हैं परन्तु उनका मानना है कि कम पढ़े लिखे होने के कारण जीवन स्तर निम्न होता है। साथ ही वे अभिभावकों को जिनकी शिक्षा का स्तर उच्च है, वे बच्चें की शिक्षा में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल होते हैं एवं अनुशासन बनाये रखते हैं।

विभिन्न शोध अध्ययनों के अनुसार हैन्डराल (1962) विकलांग बच्चों की शिक्षा में आने वाली समस्या का प्रमुख कारण इनमें सचेतना का अभाव पाया जाता है। अर्थात् अनियमित विद्यालय, परिवारों में झगड़े, शोर होना इत्यादि के कारण शिक्षा के स्तर में अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार दादू (1981), प्रभा (1983) इत्यादि के शोध निष्कर्ष के अनुसार पढ़े-लिखे अभिभावक अपने विकलांग बच्चों की शिक्षा पर आवश्यक ध्यान देते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। अर्थात् परिवार का सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति विकलांगों के पुर्नवास एवं समायोजन को प्रभावित करते हैं।

शोध के अनुसार कुल मूकबधिर बच्चों में से 46.26 प्रतिशत बच्चों को गृहकार्य करने में परेशानी आती है, अर्थात् 36.41 प्रतिशत बच्चों को कक्षा में समझ में नहीं आता, 53.73 प्रतिशत बच्चे याद नहीं कर पाते, 9.85 प्रतिशत बच्चें लिख नहीं पाते।

अतः निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कि बच्चों के अभिभावकों का निम्न आर्थिक स्तर होने पर प्रायः घर में छोटी-छोटी जरूरत की वस्तुओं के समस्याओं को लेकर परिवार के सदस्यों में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, जिनके कारण बच्चें को पढ़ाई करने में समस्या आती है। परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण हमेशा घर में शोर होता रहता है तथा बहुत सारे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण जल्दी ही थक जाते हैं जिसके कारण उनमें चिडचिड़ापन आ जाता है और उन्हें पढ़ाई करने में समस्या आती है। घर में बिजली की उचित व्यवस्था न होने से भी बच्चों को पढ़ाई में समस्या का सामना करना पड़ता है।

शोध से ज्ञात हुआ कि कुल मूक बधिर बच्चों में से कुछ बच्चों को गृहकार्य करने में बहुत परेशानी होती है जैसे कुछ बच्चों को सुनायी न देने के कारण कक्षा में शिक्षक के द्वारा बतायी गयी बातें बच्चें के समझ में ही नहीं आती, जिसके कारण वो लिख नहीं पाते, और बोल ना पाने के कारण बच्चें प्रश्नों को पुनः पूछ नहीं पाते। अन्य कुछ बच्चों की अपेक्षा पिछे ही रह जाते हैं। घर पर भी घर के सदस्यों द्वारा मूकबधिर बच्चों की शिक्षा पर आवश्यक ध्यान न दे पाने के कारण बच्चें अपना गृह कार्य पूरा ही नहीं कर पाते।

शासकीय योजनाओं की भूमिका

शासन द्वारा विकलांग बच्चों के विकास हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत शिक्षा, कॉपी-किताब, गणवेश, भोजन सामग्री, विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षण पद्धति का निःशुल्क प्रावधान है। जिन्हें शोध अध्ययन में सम्मिलित मूकबधिर संस्थाओं में भी दिया जाता है। हांलाकि यह सभी संस्थायें अशासकीय हैं जिन्हें शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मूकबधिर बच्चों की शिक्षा विभिन्न तरीकों से दी जाती है जिसमें मनोरंजन, खेल, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा इत्यादि सम्मिलित है। 11.11 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार मूकबधिर संस्थाओं में बच्चों को एकीकृत शिक्षा

दी जाती है तथा 88.88 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार समेकित शिक्षा दी जाना पायी गई। मूक बधिर संस्थाओं में 40 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार बच्चों को सांकेतिक भाषा द्वारा शिक्षा दी जाती है, 97.77 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार मौखिक भाषा, 88.88 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार लिखित भाषा तथा 17.77 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। 18.80 प्रतिशत मूकबधिर बच्चों को गणवेश विद्यालय के द्वारा तथा 81.19 प्रतिशत बच्चों को गणवेश माता-पिता के द्वारा प्राप्त होनी पाई गई।

शोध के अनुसार 88.88 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यालय में शिक्षण मनोरंजन संबंधी वस्तुओं की उपलब्धता के द्वारा दिया जाता है जिसमें नाटक तथा नृत्य संबंधी विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था तथा विभिन्न सांकेतिक पशु पक्षी संबंधित खिलौने एवं अन्य सामग्री होती है। इसके माध्यम से बच्चों में मनोरंजन के साथ-साथ “पहचान” सिखाया जाता है। चूंकि यह बच्चे मूकबधिर हैं अतः इन बच्चों को खेल संबंधी सामग्री के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है जिससे वे शारीरिक व मानसिक अभ्यास कर पाते हैं। बच्चों को खेल-खेल में वस्तुओं को पहचानना, वाक्य बोलना, एक दूसरे के साथ मित्रता, सामंजस्य, सामाजिक तौर तरीको को जानने जैसे महत्वपूर्ण अभ्यास कराये जाते हैं। साथ ही पर्यावरण यात्राएं जिनमें ऐतिहासिक स्थलों, विभिन्न संस्थाओं से परिचित कराने एवं दृश्य साधनों के द्वारा मानसिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। 44.44 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार इन विद्यालयों में पाठ्य सामग्री जैसे पेन्सिल, पेन, कॉपी-किताबें इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। 88.88 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यालय भवन की कक्षाओं में श्यामपट्ट, कुर्सी, बेंच, बिजली, पानी, विभिन्न चार्ट, पोस्टर, फोल्डर इत्यादि सामग्री की व्यवस्था पायी गई। विद्यालयीन प्रबन्धन में शिक्षण हेतु अति महत्वपूर्ण भाग के अनुसार 35.55 प्रतिशत शिक्षकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक तथा बालिकाओं हेतु शौचालय की व्यवस्था अलग-अलग हैं अर्थात् 64.44 प्रतिशत विद्यालयों में यह व्यवस्था अलग से नहीं पायी गई।

शासकीय योजना के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सभी विद्यालयों में पायी गई जिसमें से 35.55 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन द्वारा आर्थिक व्यय वहन किया जाता है तथा 64.44 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार शासन द्वारा आर्थिक व्यय वहन किया जाता है। अवलोकन के दौरान यह भी जानकारी पायी गई कि साथ बैठकर खाना खाने, विद्यालयीन चार दिवारी में भोजन व्यवस्था होने से मूकबधिर बच्चों में भोज्य पदार्थों की पहचान भी आ जाती है। अतः किताबों तथा कक्षा में शिक्षकों द्वारा विशेष शिक्षा कार्य न होकर मूकबधिर बच्चों भोजन की पहचान प्रायोगिक रूप से आसानी से सीख जाते हैं। अवलोकन के दौरान यह जानकारी पायी गई की सभी शिक्षण संस्थाओं में विशेष चिकित्सक की सुविधा है जो समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच करते हैं।

अतएव संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर शासकीय योजनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है।

शासन द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के उद्देश्य के शिक्षा के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विकलांगता ग्रस्त प्रत्येक बच्चों को 13 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा पर्याप्त शिक्षा मिल सके। विकलांगता ग्रस्त छात्रों को सामान्य विद्यालय में शामिल किया जाये। जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उनके लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विशेष विद्यालय स्थापित किये जाये तथा यह विद्यालय विकलांगता ग्रस्त बच्चों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण से युक्त हो। स्थानीय प्राधिकरण निःशक्त बच्चों के लिए जिन्होंने 5 वीं कक्षा के पश्चात् पढ़ाई छोड़ दी है, हेतु अनौपचारिक शिक्षा योजना आरंभ करेंगे। सरकार विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय और समकित विद्यालय चलाने के उद्देश्य से समुचित संस्था में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित करेंगी। सरकार विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधायें उपलब्ध करायेंगी। विद्यालय में आनेवाले बच्चों के लिए पुस्तकें, वर्दिया तथा

अन्य सामग्री उपलब्ध करायेंगी। विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तिया प्रदान करेंगी। विकलांग छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों कार्यकलापों की पूर्ण संरचना करेंगी। सरकार शिक्षा में विकलांग बच्चों को समान अवसर देने के उद्देश्य से सहायक यंत्रों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन देगी। सरकार एक शिक्षा योजना बनायेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ विकलांग छात्रों के अभिभावकों की शिकायतों के निराकरण, परिवहन एवं बाधायुक्त वातावरण शामिल होंगे।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि मूकबधिर बच्चों के अभिभावकों के शिक्षा का स्तर उनके विकास को प्रभावित करता है। शिक्षित माता-पिता अनुशासन के साथ-साथ मूकबधिर बच्चों की शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करते हैं तथा उन्हें अधिक पढ़ाना एवं उनकी उचित देखभाल कर पाते हैं। इसके विपरित जो अभिभावक कम शिक्षित हैं मूकबधिर बच्चों के विकास में नकारात्मक प्रभाव दिखायी देगा। इसी प्रकार अभिभावकों के व्यवसाय की प्रकृति तथा आय का स्तर मूकबधिर बच्चों के शिक्षा के स्तर को प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण शिक्षा के स्तर को लगातार प्रभावित करता है झगड़े होते रहना, शोर, परिवार में अधिक सदस्यों की संख्या होना ऐसे में मूकबधिर बच्चों की शिक्षा तथा मानसिक स्तर को सही दिशा नहीं मिल पाती। मूकबधिर बच्चों के विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधायें शिक्षा के लिए वातावरण तैयार करती है जिसमें शिक्षक, विद्यालय भवन, विद्यालय प्रबन्धन से जुड़ी तमाम सुविधायें शासकीय योजनाओं के प्रभाव को दर्शाती है। शासकीय योजना के माध्यम से मिलने वाली शैक्षणिक सुविधाओं के कारण ही मूकबधिर बच्चों का विकास समाज को एक चुनौती है। मूकबधिर बच्चों परिवार एवं समाज में संघर्ष के साथ जीवन यापन करते हैं। अभिभावकों के पालन पोषण, जागरूकता तथा शिक्षकों की सकारात्मक भूमिका मूकबधिर बच्चों को वर्तमान में सही दिशा प्रदान करने की ओर अग्रसर है।

सन्दर्भ :

• जनगणना, मध्यप्रदेश	रजिस्ट्रार कार्यालय, मध्यप्रदेश 2001
• जनगणना, इन्दौर	कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर 2001
• विकलांग संस्थायों के आकड़ें	समस्त विकलांग संस्था, इन्दौर 2005
• हेन्डरॉल एम.जी. (1962)	एजुकेशनल ऑफ जनरल ऑफ द मे इण्डियन एजुकेशनल ए, वाल्युम नं. 1-4, 1962
• दादू, जे. (1981),	ए स्टडी ऑफ पेरेंट पार्टीसिपेशन इन द एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंटनी हेन्डीकैप्ट चिल्ड्रेन, गुजरात वि. वि अहमदाबाद, (ए.आई.पी. अग्रवाल 1988)
• शिवहरे सुषमा (1992)	“बधिर बालकों की अभिभावक के प्रति अभिवृत्तियाँ” शोध प्रबन्ध 1992, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महु (म.प्र.)
• प्रमा. एस. (1983)	एजुकेशन एण्ड एडस्ट्रमेंट प्रोब्लम ऑफ द फिजिकली हेन्डीकैप्ट एण्ड ए प्लान फॉर देयर रिहैबिलिटेशन, पटना, यूनिवर्सिटी पटना, (ए.आई.पी. अग्रवाल, 1988)
• नाब. (1976),	सर्वे ऑफ अवेरनेस एण्ड युटीलाइजेशन ऑफ द फिसिलीटीज एवलेबल टू द ब्लाइण्डस एण्ड आर्थोपेडिकली हेन्डीकैप्ट स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ बम्बई, सीटी, नाब लुई बेल, मेमोरियल रिसर्च सेन्टर यूनिवर्सिटी, एन. ए. बान्ने (ए.आई.पी. अग्रवाल 1988)
• मेहिनी, एस.आर. एवं गाँधी पी. के (1982)	द स्टडी ऑफ फिजिकली हेन्डीकैप्ट रेसीवेन्ट्स ऑफ इण्डिया स्कॉलरशिप इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं चण्डीगढ़, द फिजिमली हेन्डीकैप्ट एवं गवर्नमेंट सीमा प्रकाशन, दिल्ली 1982
• कोहली, टी (1981)	मैग्निच्यूड ऑफ डिसएबिलिटी प्रोब्लम एण्ड ट्रेन्ड इन इन्टरनेशनल टू प्रिवेंट एण्ड रिहैबिलिटेशन द मैटली रिटायर्ड, इण्डियन जर्नल ऑफ मेन्टल रिटायर्डेशन, 14.79-84